अनुदान संख्या 65 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
GRANT No. 65 - MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	2834,49,00	2834,54,00	2162,23,03	-672,30,97
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				587,85,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted-		166,80,00	157,71,74	-9,08,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				6,00,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	24870.00			
पू.	S.	2.00	5587.63	..	-5587.63
पु.	R.	–19284.37			
मुख्य शीर्ष "2851" ग्राम तथा लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries				
मू.	O.	256833.00			
पू.	S.	3.00	217582.09	214796.53	-2785.56
पु.	R.	-39253.91			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1016.00	742.78	674.30	-68.48
पु.	R.	-273.22			

(I) ₹48374.00 लाख का प्रावधान बयालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹47669.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "2552"-

(क) "ग्राम और लघु उद्योग - खादी और ग्राम उद्योग"

(i) "खादी उद्योग" - ₹2270.00 लाख;

(ii) "ग्राम उद्योग" - ₹550.00 लाख;

(ख) "ग्राम और लघु उद्योग - नारियल रेशा उद्योग "-

(i) "नारियल रेशा बोर्ड" - ₹220.00 लाख;

(ii) "नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन" - ₹210.00 लाख;

(ग) "ग्राम और लघु उद्योग - लघु उद्योंग"-

(i) "राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड " - ₹550.00 लाख;

(ii) "प्रौद्योगिकी गुणता सहायता संस्था और कार्यक्रम" - ₹5210.00 लाख;

(iii) "संवर्धनात्मक सेवा संस्थाएं और कार्यक्रम" - ₹ 600.00 लाख;

(iv) "एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ" - ₹800.00 लाख;

(v) "ऋण सहायता कार्यक्रम"- ₹400.00 लाख;

(घ) "ग्राम तथा लघु उद्योग - अन्य व्यय - प्रशिक्षण संस्थाएं" - ₹900.00 लाख;

(I) Provision of ₹48374.00 lakhs remained wholly unutilised under forty two heads; of these ₹47669.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2552" –

(a) "Village and Small Industries – Khadi and Village Industries" –

(i) "Khadi Industries" - ₹2270.00 lakhs;

(ii) "Village Industries" - ₹550.00 lakhs;

(b) "Village and Small Industries – Coir Industries"–

(i) "Coir Board" - ₹220.00 lakhs;

(ii) "Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation of Coir Industry" – ₹210.00 lakhs;

(c) "Village and Small Industries – Small Scale Industries" –

(i) "National Small Industries Corporation Limited" – ₹550.00 lakhs;

(ii) "Quality of Technology Support Institution and Programme" – ₹5210.00 lakhs;

(iii) "Promotional Service Institutions and Programmes" – ₹600.00 lakhs;

(iv) "MSME Clusters Development Programmes and MSME Growth Poles" –₹800.00 lakhs;

(v) "Credit Support Programme" – ₹400.00 lakhs;

(d) "Village and Small Industries – Other Expenditure – Training Institutions" – ₹900.00 lakhs;

(ङ) "ग्राम और लघु उद्योग - अन्य ग्राम उद्योग" -

(i) "पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निधियों की स्कीम" - ₹200.00 लाख;

(ii) "खादी कामगारों के लिए वर्कशेड स्कीम" - ₹200.00 लाख;

(iii) "खादी उद्योगों और शिल्पकारों की उत्पादकता और स्पर्धात्मकता बढ़ाने संबंधी स्कीम" - ₹210.00 लाख; और

(iv) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" - ₹10372.00 लाख (नवंबर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

प्रावधान उपर्युक्त चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(v) "खादी सुधार विकास कार्यक्रम - (एशियाई विकास बैंक सहायता)" - ₹1920.00 लाख कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2851" -

(क) "खादी तथा ग्राम उद्योग - खादी सुधार विकास पैकेज (एशियाई विकास बैंक सहायता)" - ₹12825.00 लाख दूसरे ट्रांच जारी करने के लिए शर्तें पूरी न किए जाने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण थे।

(ख) "अन्य ग्राम उद्योग" -

(i) "पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निधियों की स्कीम" - ₹1336.00 लाख;

(e) "Village and Small Industries – Other Village Industries" –

(i) "Scheme of funds for Regeneration of Traditional Industries" – ₹200.00 lakhs;

(ii) "Workshed Scheme for Khadi Artisans" – ₹200.00 lakhs;

(iii) "Scheme for Enhancing Productivity and Competitiveness of Khadi Industries and Artisans" – ₹210.00 lakhs; and

(iv) "Prime Minister's Employment Generation Programme" – ₹10372.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in November, 2011 and March, 2012).

Provisions under the above fourteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(v) "Khadi Reform Development Programme (ADB Assistance)" ₹1920.00 lakhs - due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(B) Major Head "2851"-

(a) "Khadi and Village Industries – Khadi Reform Development Programme (ADB assistance)"- ₹12825.00 lakhs – due to non fulfillment of conditions for release of 2nd Tranche and reduction of provision at revised estimates stage.

(b) "Other Village Industries" –

(i) "Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries" - ₹1336.00 lakhs;

(ii) "खादी उद्योगों और शिल्पकारों की उत्पादकता और स्पर्धात्मकता बढ़ाने संबंधी स्कीम" - ₹1405.00 लाख;

(ग) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" -

(i) "पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निधियों की स्कीम - अनुसूचित जाति उप योजना" - ₹300.00 लाख; और

(ii) "खादी उद्योगों और शिल्पकारों की उत्पादकता और स्पर्धात्मकता बढ़ाने संबंधी स्कीम - अनुसूचित जाति उप योजना" - ₹315.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत स्कीमों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) "खादी सुधार विकास कार्यक्रम - (एशियाई विकास बैंक सहायता) - अनुसूचित जाति उप योजना" - ₹2880.00 लाख दूसरे ट्रांच शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण थे।

(iv) "एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ-अनुसूचित जाति उप योजना" - ₹950.00 लाख;

(v) "नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन - अनुसूचित जाति उप योजना" - ₹315.00 लाख;

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" -

(i) "एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ - आदिवासी उप योजना" - ₹650.00 लाख; और

(ii) "नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन - आदिवासी उप योजना" - ₹172.00 लाख;

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने और स्कीम मांग आधारित होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "Scheme for Enhancing Productivity and Competitiveness of Khadi Industries and Atrisians"- ₹1405.00 lakhs;

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries – SC Sub Plan"- ₹300.00 lakhs; and

(ii) "Scheme for Enhancing Productivity and Competitiveness of Khadi Industries and Artisans- – SC Sub Plan" – ₹315.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to non-receipt of viable projects under the schemes.

(iii) "Khadi Reform Development Programme – (ADB Assistance) – SC Sub Plan" – ₹2880.00 lakhs - due to non fulfillment of 2nd tranche conditions.

(iv) "MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles– SC Sub Plan – ₹950.00 lakhs;

(v) "Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation of Coir Industry – SC Sub Plan" – ₹315.00 lakhs;

(d) "Tribal Area Sub Plan"-

(i) "MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles - Tribal Sub Plan"- ₹650.00 lakhs; and

(ii) "Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation of Coir Industry – Tribal Sub Plan" – ₹172.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to non receipt of proposals, scheme being demand based.

(iii) ''पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निधि स्कीम - आदिवासी उप योजना'' - ₹164.00 लाख; और

(iv) ''खादी उद्योगों और शिल्पकारों की उत्पादकता और स्पर्धात्मकता बढ़ाने संबंधी स्कीम - आदिवासी उप योजना'' - ₹170.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत स्कीम के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(v) ''खादी सुधार विकास कार्यक्रम - (एशियाई विकास बैंक सहायता) - आदिवासी उप योजना'' - ₹1575.00 लाख दूसरे ट्रांच शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास आयुक्त'' - ₹103.83 लाख की बचत (₹1767.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्‌टी यात्रा रियायत और चिकित्सा दावों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) ''अनुसंधान और विकास - एस एंड टी योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान'' - ₹677.79 लाख की बचत (₹1060.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत व्यवहार्य परियोजनाएं प्राप्त न होने और कार्यान्वयन एजेंसी के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(गा) ''लघु उद्योग'' -

(क) ''प्रौद्योगिकी गुणता सहायता संस्थान और कार्यक्रम'' - ₹6192.19 लाख की बचत (₹36680.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मांग आधारित होने के कारण ऋण संबद्ध पूंजीगत आर्थिक सहायता स्कीम के अंतर्गत कम आवेदन/कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''संवर्धनात्मक सेवा संस्थाएं ओर कार्यक्रम'' - ₹128.73 लाख की बचत (₹11242.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान

(iii) "Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries - Tribal Sub Plan"- ₹164.00 lakhs; and

(iv) "Scheme for Enhancing Productivity and Competitiveness of Khadi Industries and Artisans- Tribal Sub Plan"- ₹170.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of viable projects under the scheme.

(v) "Khadi Reform Development Programme – (ADB Assistance) – Tribal Sub Plan" – ₹1575.00 lakhs- due to non-fulfillment of 2nd tranche conditions.

(II) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration – Development Commissioner of Micro, Small and Medium Enterprises"- saving of ₹103.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1767.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards leave travel concession and medical claims.

(B) "Research and Development - Provision for implementation of S&T Plan" – saving of ₹677.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1060.00 lakhs) was due to non receipt of viable projects under the scheme and availability of unspent balance with the implementing agency.

(C) "Small Scale Industries" -

(a) "Quality of Technology Support Institution and Programme" – saving of ₹6192.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36680.00 lakhs) was due to receipt of less applications/ less proposals under Credit Linked Capital Subsidy Scheme, scheme being demand based.

(b) "Promotional Service Institutions and Programmes" – saving of ₹128.73 lakhs

की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(ग) "एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ" - ₹2836.05 लाख की बचत (₹5600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामान्य सुविधा केंद्र/ अवसंरचना विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपेक्षाएं पूरी न किए जाने के कारण हुई।

(घ) "ऋण सहायता कार्यक्रम" - ₹138.44 लाख की बचत (₹970.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) "विपणन विकास सहायता कार्यक्रम" - ₹158.33 लाख की बचत (₹690.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने और स्कीम मांग आधारित होने के कारण हुई।

(च) "डाटाबेस का उन्नयन" - ₹456.43 लाख की बचत (₹539.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंचवर्षीय जनगणना स्कीम के अंतर्गत नमूना सर्वेक्षण न कराए जाने और राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) "खादी और ग्राम उद्योग - खादी और ग्रामोद्योग आयोग" - ₹7238.19 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹43658.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) "नारियल रेशा उद्योग" -

(क) "नारियल रेशा बोर्ड" - ₹926.05 लाख की बचत (₹3778.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(against the sanctioned provision of ₹11242.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(c) "MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles" - saving of ₹2836.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5600.00 lakhs) was due to non completion of requirements by implementing agencies for setting up of Common Facility Centre/Infrastructure Development Projects.

(d) "Credit Support Programme" – saving of ₹138.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹970.00 lakhs); and

(e) "Marketing Development Assistance Programme" – saving of ₹158.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹690.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals, scheme being demand based.

(f) "Upgradation of Data Base" - saving of ₹456.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹539.00 lakhs) was due to non-conducting of sample survey under quinquennial census scheme and non receipt of utilization certificates from the State Governments.

(D) "Khadi and Village Industries – Khadi and Village Industries Commission" – saving of ₹7238.19 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹43658.00 lakhs including token supplementary of ₹1.00 lakh obtained in March, 2012) was due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies.

(E) "Coir Industries" –

(a) "Coir Board" – saving of ₹926.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3778.00 lakhs); and

(ख) ''नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन'' - ₹403.00 लाख की बचत (₹1403.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत स्कीम के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(चा) ''अन्य ग्राम उद्योग'' -

(क) ''महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान'' - ₹602.50 लाख की बचत (₹1050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पर्याप्त प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता'' - ₹370.14 लाख की बचत (₹565.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों की खराब प्रतिक्रिया होने के कारण हुई।

(छा) ''अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना''-

(क) ''प्रौद्योगिकी गुणता सहायता संस्था और कार्यक्रम - अनुसूचित जाति उप योजना'' - ₹4901.27 लाख की बचत (₹6200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम, मांग एवं परियोजना आधारित होने के कारण अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - अनुसूचित जाति उप योजना'' - ₹577.87 लाख की बचत (₹15577.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

(जा) ''जनजातीय क्षेत्र उप योजना'' -

(b) "Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation of Coir Industry" – saving of ₹403.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1403.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non receipt of viable projects under the scheme.

(F) "Other Village Industries" –

(a) "Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation" – saving of ₹602.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1050.00 lakhs) was due to non submission of adequate proposals by the implementing agency and reduction of provision at revised estimates stage.

(b) "Strengthening of Infrastructure of existing weak Khadi Institutions and Assistance for Marketing Infrastructure" – saving of ₹370.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹565.00 lakhs) was due to poor response from the beneficiaries.

(G) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(a) "Quality of Technology Support Institution and Programme – SC Sub Plan" – saving of ₹4901.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6200.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Schedule Caste candidates, scheme being demand and project based.

(b) "Prime Minister's Employment Generation Programme – SC Sub Plan" – saving of ₹577.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15577.00 lakhs); and

(H) "Tribal Area Sub Plan"–

(क) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - जनजातीय उप योजना" - ₹3579.34 लाख की बचत (₹11222.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की अवशिष्ट देयताओं का निपटान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(ख) "प्रौद्योगिकी गुणता सहायता संस्था और कार्यक्रम - जनजातीय उप योजना" - ₹3749.46 लाख की बचत (₹4300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आदिवासी सहायता योजना संघटक के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने और स्कीम मांग आधारित होने के कारण हुई।

(झा) "अन्य व्यय" -

(क) "लघु और मध्यम उद्यमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा" - ₹784.91 लाख की बचत (₹950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूरे प्रस्ताव कम प्राप्त होने और स्कीम मांग आधारित होने की वजह से हुई।

(ख) "राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना" - ₹1068.29 लाख की बचत (₹1228.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और उद्यमी हेल्पलाइन के प्रचालन को न बढ़ाए जाने का निर्णय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग - लघु उद्योग - डाटाबेस का उन्नयन - राज्य सरकार" के अंतर्गत ₹341.70 लाख की बचत (₹1016.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंचवर्षीय जनगणना स्कीम के अंतर्गत नमूना सर्वेक्षण न किए जाने और सांख्यिकी स्कीम का संग्रहण के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "Prime Minister's Employment Generation Programme – Tribal Sub Plan" – saving of ₹3579.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11222.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non receipt of certificate from Reserve Bank of India for clearing the residual liability of erstwhile Prime Minister Rojgar Yojana and Khadi and Village Industries Commission for Rural Employment Generation Programme.

(b) "Quality of Technology Support Institution and Programme – Tribal Sub Plan" – saving of ₹3749.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4300.00 lakhs) was due to receipt of less proposals under Tribal Support Plan components, scheme being demand based.

(I) "Other Expenditure" –

(a) "Promoting International Co-operation among Small and Medium Enterprises" – saving of ₹784.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹950.00 lakhs) was due to less receipt of complete proposals, scheme being demand based.

(b) "Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojana"– saving of ₹1068.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1228.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year and decision of not to upscale the operations of Udyami Helpline.

(III) Under Major Head "3601"- "Grant for Central Plan Schemes – Village and Small Industries- Small Scale Industries- Upgradation of Data Base –State Government" – saving of ₹341.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 1016.00 lakhs) was due to non conducting of sample survey under quinquennial census scheme and non-receipt of utilization certificates from various State Governments under collection of Statistics scheme.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹164.11 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 68 प्रतिशत से 87 प्रतिशत तक थी।

(IV) Under two heads savings of ₹164.11 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 68 percent and 87 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹16536.04 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2851" - "अन्य ग्राम उद्योग - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" के अंतर्गत नवंबर, 2011 और मार्च, 2012 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹16531.02 लाख था।

2. The above savings were partly (₹ 16536.04 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakh in November, 2011 and March, 2012 under Major Head "2851" - "Other Village Industries – Prime Minister's Employment Generation Programme". Actual excess, however, was ₹16531.02 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	800.00	400.00	145.74	-254.26
पु.	R.	-400.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	1830.00	..	..	..
पु.	R.	-1830.00			
मुख्य शीर्ष "4851" ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	13670.00	15500.00	15500.00	..
पु.	R.	1830.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "6552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas					
मू.	O.	300.00		..	..	..
पु.	R.	-300.00				

(I) ₹2130.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹2030.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹2130.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹2030.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय - लघु उद्योग - राष्ट्रीय लघु उद्योग लि0" - ₹1830.00 लाख; और

(A) Major Head "4552" – "Capital Outlay on Village and Small Industries-Small Scale Industries-National Small Industries Ltd." – ₹1830.00 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष "6552" - "ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज - खादी तथा ग्रामीण उद्योग - खादी के विकास के लिए कर्ज" - ₹200.00 लाख।

(B) Major Head "6552" – "Loans for Village and Small Industries – Khadi and Village Industries – Loans for Development of Khadi" – ₹200.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - कार्यालय आवास का निर्माण - ग्राम तथा लघु उद्योग" - ₹654.26 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" – "Office Buildings – Other Expenditure - Construction of Office Accommodation – Village and Small Industries" – saving of ₹654.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non-completion of work by Central Public Works Department.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4851" - "लघु उद्योग - राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि0 में निवेश" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹1830.00 लाख का अधिक व्यय

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4851" - "Small Scale Industries - Investment in National Small Industries

(₹8945.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Corporation Ltd" – excess of ₹1830.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8945.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.